रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1120] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 2014/ज्येष्ठ 1, 1936
No. 1120] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 2014/JYAISTHA 1, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2014

का.आ. 1352(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 10 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 1539(अ) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 10 जुलाई, 2012 की अधिसूचना का, जहां तक उनका संबंध मद (क) से मद (च) और मद (ढ़) से है, सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियां और कार्य मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग स्थित प्रादेशिक निदेशकों को इस शर्त के अधीन प्रत्यायोजित करती है कि केन्द्रीय सरकार शक्तियों के इस प्रत्यायोजन का प्रतिहरण कर सकेगी अथवा उक्त धाराओं के अधीन स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी, यदि उसकी राय में ऐसी कार्रवाई लोकहित में आवश्यक है, अर्थात्:—

(क) धारा 8 की उप-धारा (4) का खंड (i) (किसी अन्य प्रकार की कंपनी के रूप में संपरिवर्तन के मामले में ज्ञापन में परिवर्तन के लिए);

(ख) धारा 8 की उप-धारा (6);

(ग) धारा 13 की उप-धारा (4) और उप-धारा (5) ;

(घ) धारा 16;

(ङ) धारा 87;

(च) धारा 111 की उप-धारा (3) ;

(छ) धारा 140 की उप-धारा (1) ; और

(ज) धारा 399 की उप-धारा (1) का परंतुक (i) ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/6/2014-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2014

S.O. 1352(E).— In exercise of the powers conferred by Section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, dated the 10th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1539(E), dated the 10th July, 2012, in so far as it relates to items (a) to (f) and item (n), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, Noida, Ahmedabad, Hyderabad and Shillong, the power and functions vested in it under the following sections of the said Act, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said sections, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest, namely :—

(a) clause (i) of sub-section (4) of Section 8 (for alteration of memorandum in case of conversion into another kind of company);

(b) sub-section (6) of Section 8;

(c) sub-sections (4) and (5) of Section 13;

(d) Section 16;

(e) Section 87;

(f) sub-section (3) of Section 111;

(g) sub-section (1) of Section 140; and

(h) proviso (i) to sub-section (1) of Section 399.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/6/2014-CL.-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.